

कार्यालय अग्निशमन केन्द्र, नगर परिषद चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक :- फायर / 20-21/929


दिनांक:- 23/06/2020

-: अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश यादव द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कैलाश विद्या विहार, निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ के लिए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। इसके आधार पर फायर यंत्रों की जाँच मौका देखा गया। जो सही एवं कार्यशील अवस्था में पाये गये अतः उपरोक्त संस्था के लिए दिनांक 23/06/2020 से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र का हर वर्ष नविनीकरण कराना आवश्यक होगा जिसके लिये समाप्ति से एक माह पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।

उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र की निम्न शर्तें मान्य होंगी -

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
2. सम्बन्धित फेक्ट्री/मल्टीस्टोरी बिल्डींग/होटल/स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान के समस्त स्टाफ व सिक्युरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम 2 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
5. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे एवं ए.एम.सी. करवाई जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
7. फायर वाहन आसानी से आ-जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा एवं आपातकालीन द्वार हमेशा बिना अवरोध के खुला रखने के लिए बाध्य होंगे।
8. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक प्रदार्थ व अति ज्वलनशील प्रदार्थ नहीं रखना होगा।
9. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उँचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
10. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
11. भूमि एवं भवन सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्षी मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. सभी फायर यंत्र सुचारु रूप से चालु हालात में रहेंगे।
13. वर्ष में अग्निशमन अधिकारी द्वारा 2 बार निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान कोई भी फायर यंत्र कार्यरत अवस्था में नहीं पाया जाता है तो फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, चित्तौड़गढ़